प्रेस विज्ञप्ति

19/2/2026

ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स विनज़ो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी मेसर्स ज़ो प्राइवेट लिमिटेड की 590 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत धारा 4 के उल्लंघन के लिए मेसर्स विनजो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी मेसर्स जो प्राइवेट लिमिटेड के 590 करोड़ रुपये मूल्य के बैंक खाते, एफडी, म्यूचुअल फंड और बांड जब्त किए हैं।

विनज़ो रियल मनी गेम्स (आरएमजी)/जुआ के संचालन का व्यवसाय करती थी, जो 100 से अधिक नंबर गेम पेश करती थी और जिसका दावा था कि उसके लगभग 25 करोड़ उपयोगकर्ता थे। विन्ज़ो ने अपनी विदेशी सहायक कंपनियों - मेसर्स विन्ज़ो यूएस इंक, यूएसए और मेसर्स विन्ज़ो एसजी पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, जिसके तहत उसने 54,255,010 अमेरिकी डॉलर (लगभग 492 करोड़ रुपये के बराबर) की विदेशी मुद्रा प्राप्त की है।

विनज़ो ब्राज़ील, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी - मेसर्स विन्ज़ो यूएस इंक, यूएसए के माध्यम से बिंगो 2पी, बिंगो टर्बो, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, माइंस, सॉलिटेयर, स्पेड्स और ब्लैक जैक आदि जैसे गेम पेश करके वास्तविक धन वाले ऑनलाइन जुआ संचालन कर रही है। विन्ज़ो ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बहाने विदेशों में अपना धन लगाया है, हालांकि, इन विदेशी संचालन के लिए संपूर्ण गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से साझा और नियंत्रित किया जाता है। विदेशी संस्थाओं के पास विदेशों में अपने संचालन के लिए कोई नियमित कर्मचारी या स्वतंत्र प्रतिष्ठान नहीं हैं। इन संस्थाओं का संपूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण, जिसमें दैनिक कामकाज भी शामिल है, भारत के निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, अमेरिका और सिंगापुर की संस्थाओं के सभी लेखा रिकॉर्ड, विदेशी बैंक खातों का प्रबंधन और संबंधित वित्तीय कार्य भारत से ही संभाले जाते हैं। विनज़ो सिंगापुर, विनज़ो इंडिया को कॉल-ब्रेक गेम का लाइसेंस देकर लाइसेंसिंग शुल्क अर्जित कर रहा है।

इसके अलावा, ईडी की जांच में पता चला कि विन्ज़ो प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिका और सिंगापुर में 100% सहायक कंपनियां भी स्थापित की हैं, जो जुआ/वास्तविक धन वाले खेलों में शामिल हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के नियम 19 (1) (बी) के तहत निषिद्ध हैं। इसके अलावा, विन्ज़ो गेम्स की विदेशी सहायक कंपनियां गैर-वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि (भारत में लागू किसी भी कानून के तहत अनुमत नहीं) में शामिल हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के नियम 9 (1) का उल्लंघन है।

भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 (PROG) अधिनियम, 2025 द्वारा लगाया गया है, इसलिए विनज़ो भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध लागू होने के बाद विदेशी निवेश नहीं कर सकता था या निवेश जारी नहीं रख सकता था। विनज़ो प्रतिबंधित गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा और विदेशी आय को अपने अमेरिका और सिंगापुर स्थित सहायक कंपनियों के बैंक खातों में जमा किए हुए है, जो कि FEMA, 1999 की धारा 4 का उल्लंघन है और इसकी कुल राशि 590 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।